

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/26/2023/4243

दिनांक:- 22/08/23

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि निगम के चालक/परिचालक को रात्रि/दिन बहिर्गमन भत्ते का भुगतान करते समय मुख्यालय के आदेश क्रमांक एफ4/वित्त/नियम/26/2017/2381 दिनांक 24.04.2017 में अंकित रा0रा0प0प0 निगम यात्रा भत्ता विनियम 1965 के विनियम 32 एवं 32ए की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है। विनियम 32 एवं 32ए में स्पष्ट किया गया है कि जिन बसों का ठहराव मुख्यावास के बाहर 6 घण्टे या 6 घण्टे से अधिक लगातार रहेगा, वही चालक/परिचालक रात्रि/दिन बहिर्गमन भत्ते के पात्र होंगे।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि निगम के चालकों/परिचालकों को रात्रि/दिन बहिर्गमन भत्ते का भुगतान करते समय रा0रा0प0प0 निगम यात्रा भत्ता विनियम 1965 के विनियम 32 एवं 32ए (निम्नानुसार) की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करावें:-


32. Night out Allowance:-

Night out allowance will be paid to Drivers, Conductors and cleaners engaged in service trips and required to make night halts of atleast 6 hours at the stations other than their headquarters on termination of service trips.

32A. Day out Allowance:-

Day out allowance will be paid to Drivers, Conductors and cleaners, engaged in night service trips and are required to make day halts of atleast 6 hours at the station other than their headquarters on termination of such night service trips.

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं होने पर सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक (यातायात/संचालन/वित्त) व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।


(निधमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 22/08/23

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/26/2023/4243

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि.....जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
10. रक्षित पत्रावली।

I.T.-11770
23/08/23

(रामगोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार